न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 10/2020
3. उनवान : सरकार जरिये रामस्वरुप जाट प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री कैलाश यादव पुत्र श्री रामदयाल निवासी पवाना थाना कोटपूतली मालिक गाडी संख्या RJ32GB0843

4. निर्णय दिनांक : 19-07-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

ब) श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर ग्रामीण श्री कुशाल बिलाला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ पर्चा मौका, फर्द अभिग्रहण, सेम्पल लेबल, प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि पनियाला थाना पुलिस द्वारा दिनांक 24.03.2014 चिमनपुरा से बखराना की तरफ से आ रही पिकअप वाहनों को रुकवाकर चैक किया जाने पर पिकअप संख्या RJ32GB0843 में डीजल भरा मिला, जिसे पुलिस द्वारा डिटेन कर थाने में लाया गया। पनियाला थाना पुलिस की सूचना पर प्रार्थी ने जांच दल के साथ दिनांक 25.03.2014 को पुलिस थाना पनियाला में डिटेन वाहन की जांच कार्यवाही कर जांच नमूने लेने के पश्चात अवैध 1597.750 लीटर डीजल मय आठ ड्रम तथा गाडी संख्या RJ32GB0843 को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त डीजल के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये ना ही कोई दस्तावेज उक्त वाहन के संबंध में पेश किये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त सामान को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा ने दिनांक 03.04.2014 को वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी/अभिभाषक की ओर से स्वयं को जब्त वाहन के पंजीकृत स्वामी बताया और वाहन को जमानतनामे पर छोडने का निवेंदन करते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी के सुपुर्दगीनामा व रुपये 4,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ने दिनांक 07.04.2014 को वाहन संख्या RJ32GB0843 के मोचन आदेश पारित किये। अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 21.07.2014 को जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.पी.ई. केसेज) जयपुर जिला, जयपुर द्वारा निर्णय पारित किया गया जिसमें प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में मुलजिम कैलाश यादव के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का आरोप विरचित किये जाने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार नहीं होने से मुलजिम कैलाश यादव को उन्मोचित कर दिया गया है। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 19-7-2022 को आदेश हेतु रखी गई।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दिनांक 24.03.2014 को अप्रार्थी कैलाश यादव की पिकअप को पनियाला थाना पुलिस द्वारा जांच करने पर अवैध डीजल मिला। पनियाला थाना पुलिस की सूचना पर प्रार्थी ने जांच दल के साथ दिनांक 25.03.2014 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 1597.750 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक के बडे ड्रम तथा वाहन संख्या RJ32GB0843 को जब्त किया। पूछताछ के दौरान अप्रार्थी ने बताया कि हरियाणा में डीजल की कीमत राजस्थान से कम होने के कारण डीजल को रायमलिकपुर, हरियाणा के पेट्रोल पम्प से खरीद कर मोदी क्रेशर, पवाना को बेचने के लिये ले जा रहा था। जवाब के दौरान अप्रार्थी/अभिभाषक ने वाहन के दस्तावेज व डीजल के खरीद संबंधी बिल प्रस्तुत किये। जिसे कृषि कार्य में काम लेने हेतु डीजल निकटवर्ती पेट्रोल पम्प से लेने का कथन किया है। साथ ही कृषि भूमि की जमाबन्दियां भी पेश की है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा डीजल खरीद के बिल व कृषि कार्य में लेने हेतु कृषि भूमि का स्वामित्व पुष्ट किया है और कार्यवाही दिनांक 24.03.2014 की अवधि की फसल कटाई का समय प्रदर्शित करती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य ज्ञात होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम अस्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 1597.750 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक के बडे ड्रम तथा वाहन संख्या RJ32GB0843 शामिल है, को मुक्त किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त जब्तशुदा सामग्री को नियमानुसार संबंधित को सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।